संख्या- 1647 /15-17-68-63(33)/68

श्री एल०प्रसाद गौतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
प्रबन्धक,
डी.ए.वी. सेन्टेनरी पब्लिक स्कूल,
नोयडा, गाजियाबाद.

लखनऊ: दिनांक **21** जुलाई, 1989

शिक्षा अनुभाग-17

विषय :- - **डी.ए.वी. सेन्टेनरी पब्लिक स्कूल, नोयडा, गाजियाबाद** को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि - **डी.ए.वी. सेन्टेनरी पब्लिक स्कूल - नोयडा, गाजियाबाद** -------- को - **सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजूकेशन** ------------- नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रतिबन्धों/ शर्तों के अधीन विचार किया जा सकता है। यदि आप उक्त परीक्षा बोर्ड से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के इच्छुक हों तो निम्नलिखित प्रतिबन्धों/ शर्तों को स्वीकार किये जाने के संबंध में अपनी लिखित सहमति शासन को भेजने का कष्ट करें :-

(क) सामान्य प्रतिबन्ध

(1) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(2) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान मेधावी और पिछड़े एवं निर्बल आय-वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे तथा उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(3) संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।

(4) संस्था के सभी अध्यापक/ अध्यापिकायें प्रशिक्षित होंगे। संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान एवं अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

....2/=

ATTESTED

Principal
Sarla Chopra D.A.V. Public School
Sector-56, Noida

राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे, उनका पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा ।

विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उच्चकोटि का रखा जायेगा ।

विशेष प्रतिबन्ध

विद्यालय की प्रबन्ध समिति रजिस्टर्ड होगी तथा समय-समय पर नियमानुसार उसका नवीनीकरण भी कराया जायेगा ।

विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिए उचित आकार के कक्षा-कक्ष, दो वैकल्पिक विषय कक्ष, दो प्रयोगशाला कक्ष तथा पांच प्रशासनिक कक्ष की व्यवस्था की जायेगी ।

कर्मचारियों की सेवा-शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायताप्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

विद्यालय का लेखा-जोखा निर्धारित प्रपत्रों/ पंजिकाओं में रखा जायेगा । ~~[illegible]~~

उक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी समय उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त "अनापत्ति प्रमाण पत्र" वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(एल०एस० गौतम)
संयुक्त सचिव।

ATTESTED

Principal
Sarla Chopra D.A.V. Public School
Sector-56, Noida